तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.129/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
10.01.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रुपाराम पुत्र गणेशराम कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित।	

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी रुपाराम पुत्र गणेशराम कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.2.2023 को फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी रुपाराम पुत्र गणेशराम कुम्हार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पापड (ओसवाल) का नमूना संख्या S-2026 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./388/Act/2023/438 दिनांक 10.1.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी रुपाराम ने नियत सुनवाई तिथि 27.12.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी रुपाराम द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रतिवादी को दिनांक 27.12.2023 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसने खाद्य पदार्थ स्पेशल मूंग पापड (ओसवाल) को दूसरी फर्म से खरीदी थी एवं जिस अवस्था में खरीदी उसी अवस्था में विक्रय की है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 22.2.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ स्पेशल मूंग पापड (ओसवाल) के 12 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) में से स्पेशल मूंग पापड (ओसवाल) के 4 पैक्ड पैकेट (400 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ स्पेशल मंग पापड (ओसवाल) के नमूना संख्या S-2026 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./388/Act/[illegible]8 दिनांक 10.3.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) [illegible] है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी [illegible] क्रय का बिल भी

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)
अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.129/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रुपाराम पुत्र गणेशराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मूंग स्पेशल पापड (ओसवाल) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मूंग स्पेशल पापड (ओसवाल) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रुपाराम पुत्र गणेशराम कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी रुपाराम पुत्र गणेशराम कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म गणेश जनरल स्टोर, बस स्टेण्ड, गोल, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 14.2.2024 को पेश हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:49 IST
Reason: SelfAttested